न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी - विवेक व्यास, R.A.S

राजस्व आवेदन संख्या 157/2006

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थी

01. कान्तीलाल पुत्र खेतचंद जाति - ओसवाल
02. राधेश्याम पुत्र बद्रीनारायण जाति - माहेश्वरी
निवासी - बालोतरा
तहसील पचपदरा

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 151-152 सी.पी.सी.

उपस्थिति

1. श्री जेठाराम सिंघल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
02. राज. पैरोकार विप्रार्थी

आदेश दिनांक 21.7.2023

01. संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण व अन्य खातेदार श्री बाबुलाल पुत्र ढोकलाराम, हीराराम व किसनाराम पिसरान् ढोकलाराम कौम बिश्नोई निवासी अराबा की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बिठुजा की खसरा नम्बर 33 [illegible] 20.03 किला भूमि आई हुई [illegible] का 1/4 हिस्सा था और अपने [illegible] पर कब्जा काश्त आ [illegible] चला आ रहा है। कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण को छोड़कर अन्य खातेदार द्वारा इस्तकरार जारी करने पर

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

होने पर तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा द्वारा धारा 177 R.T.Act के तहत प्रकरण तैयार कर विवादित भूमि में से रकबा 1.10 बीघा भूमि खालसा सरकार घोषित करने का पेश किया तथा बाद में धारा 212 R.T.Act का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद न्यायालय आदेश रकबा 1.10 बीघा भूमि पर निर्णय डिक्री की गई। लेकिन निर्णय व डिक्री न्यायालय द्वारा तथा पारित निर्णय दिनांक 25.8.1992 में गलती से रकबा 1.10 बीघा खालसा सरकार के स्थान पर रकबा 11.10 बीघा खालसा सरकार घोषित कर दी गई। जिसके आधार पर रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जो कि निर्णय में मानवीय त्रुटिवश गलत रकबे का अंकन हुआ है। जो कि निर्णय संशोधन योग्य होने के कारण मुकदमा नंबर 243/1991 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.1992 में संशोधन करते हुए रकबा 11.10 बीघा के स्थान पर रकबा 1.10 बीघा भूमि राज्य सरकार खालसा घोषित करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया।

02. प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को नोटिस तामील किया। विपक्षी उपस्थित हुए। विपक्षी को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

03. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी / [illegible] प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र के तथ्यों को देखते हुए [illegible] तर्क दिए कि प्रार्थीगण व [illegible] श्री बाबुनाथ, हरिराम व किशनाराम [illegible] कौम बिश्नोई निवासी [illegible] की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 35 रकबा 20.03 बीघा भूमि खातेदारी

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा आया हुआ था। और मौके पर कब्जा काश्त शामिलात चला आ रहा है। तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा द्वारा विवादित भूमि में अकृषि कार्य होना मानकर उक्त भूमि में रकबा 1.10 बीघा खालसा सरकार घोषित करवाने के लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RT Act माननीय न्यायालय में पेश किया तथा साथ ही धारा 212 RT Act का आवेदन पेश किया। जिसमें रकबा 1.10 बीघा भूमि पर रीजीवर नियुक्त तहसीलदार पचपदरा को किए जाने पर उक्त रकबा भूमि रिसीवरी कब्जे में ली गई। प्रार्थीगण ने ही की 177 RT Act प्रकरण में यही कथन किया, था कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा है और प्रार्थीगण द्वारा कभी भूमि गैर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रार्थीगण की भूमि पर अपने हिस्सेदार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन हल्का पटवारी बिदूजा ने भी अपने बयानात में रकबा 1.10 बीघा भूमि पर अकृषि कार्य करने स्वीकार किया था। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.92 में रकबा 11.10 बीघा भूमि खालसा सरकार घोषित कर दी गई, जो कि गलत त्रुटिवश आदेश पारित किया गया था। क्योंकि तहसीलदार पचपदरा द्वारा रकबा 1.10 बीघा भूमि पर ही अकृषि कार्य होना पाया जाकर इतनी भूमि ही खालसा सरकार करने का आवेदन पेश किया था। लेकिन माननीय निर्णय में त्रुटिवश रकबा 1.10 बीघा के स्थान पर 11.10 बीघा अंकित कर दिया गया और [illegible] निर्णय के आधार पर रेवेन्यू [illegible] गया। जो कि प्रार्थीगण के साथ [illegible] और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है [illegible] विवादित भूमि के संबंध में पेश रि.अ. नितीलय बालोतरा ने रिपोर्ट में स्वीकार किया है, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.92 में त्रुटिवश रकबा 11.10 बीघा को

(हस्ताक्षर) प्रार्थी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 1987 है। [illegible] रकबा 1.10 [illegible] बीघा [illegible] उक्त [illegible] प्रार्थीगण [illegible] को [illegible] के [illegible] का [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] तहसीलदार [illegible] [illegible] 227/1990 में [illegible] दिनांक 30.5.1992 को [illegible] कर [illegible] खसरा 35 में रकबा 1.10 बीघा [illegible] रकबा [illegible] दर्ज किया गया।

04. विद्वान [illegible] की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से [illegible] किया गया है, जो उचित नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि में [illegible] में कोई [illegible] नहीं है। [illegible] की [illegible] में [illegible] हो रहा है। प्रार्थीगण [illegible] खसरा 11.10 बीघा भूमि पर [illegible] कार्य किया होगा, [illegible] भूमि [illegible] दर्ज हुई थी। [illegible] को [illegible] जारी [illegible] प्रार्थीगण की [illegible] से [illegible] के [illegible] पर [illegible] करने को [illegible] खारिज फरमाया जावे।

05. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली पर गौर किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात व मूल पत्रावली अन्तर्गत धारा 177 RT Act का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया [illegible] के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं मौका [illegible] भी अवलोकन किया। जिसमें पाया [illegible] अरिजीं तहसीलदार पचपदरा द्वारा अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 के तहत [illegible] कार्य करने पर प्रार्थीगण के [illegible] तहसीलदार के विरुद्ध

[illegible signature]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र पेश किया। जो मुकदमा संख्या 85/1988
राजस्थान सरकार बनाम शान्तिलाल वगैरा पर दर्ज
रजिस्टर हुआ तथा पत्रावली सहायक कलक्टर न्या०
बाड़मेर को स्थानान्तरण होने के बाद पुनः न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को प्राप्त होने पर नये
मुकदमा संख्या 243/1991 पर दर्ज रजिस्टर हुआ।
तहसीलदार पचपदरा की ओर से उक्त आवेदन द्वारा
धारा RT Act के जो बिन्दु संख्या 01 में खसरा
नम्बर 35 में से रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि
खसरा नम्बर का अंकन है, जो आवेदन पत्र के
अवलोकन से स्पष्ट है। मूल आवेदन के साथ पेश
अन्तर्गत धारा 212 RT Act प्रकरण मुकदमा संख्या
93/1988 में पारित आदेश दिनांक 18.3.1988 में
स्पष्ट खसरा नम्बर 35 में से रकबा 1.10 बीघा
भूमि का तहसीलदार पचपदरा को सिलिकर नियुक्ति
का आदेश किया गया था। जिसमें रकबा 1.10 बीघा
भूमि ही सिलिकर की नियुक्ति की गई थी। तथा धारा
212 RT Act प्रार्थनापत्र जो तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा
द्वारा प्रस्तुत किया गया था, में भी रकबा 1.10
बीघा भूमि पर ही स्थगन आदेश, की इस्तदुआ
चाही गई थी, और अस्थायी जारी होना माना गया
था। जिससे स्पष्ट जाहिर है, कि विवादित भूमि
में से रकबा 1.10 बीघा ही भूमि का ही आवेदन पेश
किया था। लेकिन मूल आवेदन में खालि लिखित न
रकबा 1.10 बीघा के स्थान पर भूलवश
बिना में रकबा 1.10 बीघा का अंकन हो गया। इसी प्रकार, न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के पत्रांक/न्याय./वाद/
88/350 दिनांक 25.3.1988 में तहसीलदार [illegible]
सिलिकर नियुक्ति की गई थी, [illegible]
भूमि सीलिंग कब्जा लेने हेतु आदेश [illegible]
न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक 91 दिनांक 8.1.1990 के द्वारा न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को सिलिकर नियुक्ति की
पालना में रकबा 1.10 बीघा भूमि की कब्जा प्राप्ति
की रिपोर्ट पेश की गई। इससे भी पूरी तरह से

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

साबित है, कि खातेदारी काश्त रकबा 1.10 बीघा था, लेकिन त्रुटिवश पारित निर्णय में रकबा 11.10 बीघा लिखा गया था, जो कि एक स्वाभाविक लिपिकीय त्रुटि है, जो संशोधन योग्य है। इसी प्रकार हल्का पटवारी बिठूजा, भू.अ. निरीक्षक जसोल व तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा कैम्प बिठूजा की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 25.12.1989 में भी रकबा 1.10 बीघा भूमि अकृषि कार्य करने पर कब्जा प्राप्त किया गया। इसी प्रकार विवादित भूमि रकबा 1.10 बीघा न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त कर कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को रिसीवर नियुक्त किया था और उन द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। बावजूद प्रार्थीगण के अपने खातेदारों द्वारा अकृषि कार्य चालू रखने हेतु तत्कालीन हल्का पटवारी बिठूजा द्वारा माननीय न्यायालय में विपक्षी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था, जिसमें [illegible] में भी रकबा 1.10 बीघा भूमि का लिखा गया था, जो मुकदमा संख्या 26/1991 पर दर्ज रजिस्टर हुआ था। जो मूल पत्रावली की आदेशिका अवलोकन से स्पष्ट है। तत्कालीन हल्का पटवारी बिठूजा श्री गणपत सिंह पुत्र कानसिंह द्वारा धारा 177 RT Act प्रकरण में दिनांक 07.4.92 को बयान कलमबद्ध करवाये थे, जिसमें स्वीकार किया है, कि विपक्षी द्वारा विवादित भूमि में से रकबा 1.10 बीघा भूमि पर अकृषि कार्य किए जाने पर प्रकरण बनाया गया, जो कि बयानात के अवलोकन से साबित है। तथा भू.अ. निरीक्षक बालोतरा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 14.5.2023 में भी स्पष्ट किया है, कि खसरा नम्बर 35 रकबा [illegible] बीघा में से 1.10 बीघा भूमि पर अकृषि [illegible] गई थी, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा [illegible] 11.10 बीघा को खातेदारी खारिज घोषित कर दिया गया था। वर्तमान LLR बालोतरा द्वारा भी स्वीकार किया गया है, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.92

न्यायालय सहायक कलक्टर * बालोतरा *

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

में लिपिकीय त्रुटिवश रकबा 11.10 बीघा का अंकन हुआ है। विभागीय राज. पैरोकार की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.1992 में रकबा 11.10 बीघा का सही अंकन हुआ हो। जबकि मूल पत्रावली अन्तर्गत धारा 177 RT Act के आवेदन पत्र का पैरा संख्या 01, हल्का पटवारी बिठूजा के बयानात, धारा 212 RT Act खातेदारान में पारित आदेश दिनांक 18.3.1988, धारा 212 RT Act के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिसीवर नियुक्ति पत्र, रिसीवर नियुक्ति के आधार पर भूमि कब्जा प्राप्ति पत्र, कब्जा की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.12.1989 एवं हल्का पटवारी बिठूजा की फर्द मौका दिनांक 10.2.1990 मय आवेदन पत्र वास्ते कानूनी कार्यवाही करने बाबत में स्पष्ट लिखा गया है, कि विवादित कृषि खाता नम्बर 35 में से रकबा 1.10 बीघा भूमि पर ही अकृषि कार्य किया गया था। जबकि पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.1992 में रकबा 1.10 बीघा के स्थान पर रकबा 11.10 बीघा का अंकन किया गया, जो कि एक लिपिकीय

सहायक कलक्टर * बालोतरा

(बिरजू व्यास)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जाने का माना जा सकता है। ऐसी स्थिति संशोधन योग्य है। प्रार्थीगण अपने कारण कानूनी के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अन्दर म्याद स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अन्दर म्याद [illegible] कर स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 243/1991 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.1992 में संशोधन करते हुए ग्राम बिठूजा की खसरा नम्बर 35 रकबा 11.10 बीघा के स्थान पर रकबा 1.10 बीघा भूमि इन्द्राज करने के आदेश दिया जाता है। शेष मूल निर्णय बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार संशोधन रिकार्डनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 21.7.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:48 IST
Reason: SelfAttested

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा